

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट रानीवाडा

पीठासीन अधिकारी:- हरीश कुमार

प्रकरण संख्या:- 174 / 2018

उनवान:- सरकार बनाम महेन्द्र कुमार

उपस्थित:-

राज्य की ओर से हरेन्द्र कुमार डागर सहायक अभियोजन अधिकारी उप0
अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता रमेश कुमार सेन उपस्थित

आदेश

दिनांक:-09.08.2018

थानाधिकारी पुलिस थाना करडा की ओर से जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी यह परिवादपत्र अभियुक्त महेन्द्र कुमार के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 / 192,146 / 196,3 / 181 में पेश किया गया।

परिवादपत्र व कार्यालय टिप्पणी का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य को स्वीकार कर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया। अतः अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर समस्त साक्ष्य को स्वीकार किये जाने से अभियुक्त को मोटर वाहन अधिनियम की उक्त धाराओं में दोषसिद्ध किया जाकर रुपये 600 / -रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त पृथक से 03 दिन का साधारण कारावास भुगतेंगा।

आदेशानुसार अभियुक्त ने अर्थदण्ड की राशि रुपये 600 / -रुपये जरिये रसीद संख्या 09 दिनांक 09.08.2018 जमा किया गया। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन आरजे 46 एसए 5811 को लौटाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

**न्यायिक मजिस्ट्रेट
रानीवाडा**